Regarding timely payment of outstanding amount to Sugarcane farmers

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के अनुसार किसानों का गन्ना बकाया भुगतान न होने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, गन्ना किसान केन्द्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के तहत गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को अपना गन्ना आपूर्ति करता है और अपेक्षा करता है कि केन्द्र सरकार उनके गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर कराने का काम करेगी। परंतु आज पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों-करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है। जिसमें से लगभग 600 करोड़ रुपये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाज शुगर मिल, किनोनी, बजाज शुगर मिल, भसाना, बजाज शुगर मिल, थाना भवन, शुगर मिल श्यामली और शुगर मिल मलकपुर पर बकाया है। किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। आज किसान न अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है और न ही अपने बेटे-बेटियों की शादी ही कर पा रहा है। किसान लगातार धरने पर बैठा हुआ है। मेरी आपसे मांग है कि श्यामली, मलकपुर, बुढ़ाना चीनी मिलों के ऊपर डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा, श्यामली पर तीन सौ करोड़ रुपये, बुढ़ाना पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये और मलकपुर पर तीन सौ करोड़ रुपये बकाया है। इनसे गन्ना भुगतान कराने का कष्ट करें। जो किसान बीमार हैं, उनके इलाज की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी करवायी जाए। महोदय, 50 परसेंट को कैंसर हो गया है। क्या जब सब मर जाएंगे तब सरकार आंख खोलेगी? धन्यवाद।